—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 56/2013

उनवान

1 कालू पुत्र मोती मृतक जरियें वारिस
1/1. छोटी देवी पत्नी कालू
1/2. उदय सिंह पुत्र कालू
1/3. गुलाबी पुत्री कालू,
1/4. सोहन सिंह पुत्र कालू
1/5. लक्ष्मी पुत्री कालू समस्त जाति रावत, नि. ग्राम कानाखेडी, नसीराबाद

—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह चौहान

बनाम

1. गोपी मृतक जरियें वारिस
1/1. नानी पत्नी गोपी
1/2. गणेश पुत्र गोपी
1/3. बिमला पुत्री गोपी
1/4. सन्जू पुत्री गोपी
2. गुलाब पि. मोती,
3. कायली पुत्री दल्ला (दल्ला पुत्र मोती),
4. जमनी पत्नी हालू (हालू पुत्र मोती),
5. केला सिंह,
6. नेहरू,
7. धारा सिंह,
8. पांचू, पि. हालू,,
9. सोहनी पुत्री हालू पत्नी धासी जाति रावत नि. ग्राम फारकिया श्रीनगर, अजमेर,
10. लक्ष्मण पुत्र मल्ला (मल्ला पुत्र कल्ला),
11. गंगाराम,
12. राम सिंह पि. मल्ला,
13. चम्पा पुत्री मल्ला,
14. जय सिंह पुत्र उगमा, (उगमा पुत्र कल्ला),
15. भागचन्द पुत्र उगमा, समस्त जाति रावत नि. ग्राम कानाखेडी, नसीराबाद,
16. सीता पुत्री उगमा पत्नी भगवान जाति रावत नि. ग्राम कोटाज अजमेर,
17. प्रेम पत्नी सोहन जाति रावत नि. ग्राम कानाखेडी, नसीराबाद, अजमेर,
18. लक्ष्मण पुत्र भैरू सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम बुबानिया, नसीराबाद,
19. अज्जा पुत्र राजू नाऔलाद फौत
20. मानी पत्नी धर्मा (धर्मा पुत्र राजू)
21. किशन सिंह,
22. बिशन सिंह,
23. ज्ञान सिंह पि0 धर्मा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:43:34 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

24. मुकना पुत्र राजू (मृतक) जरियें वारिसान्
24/1. बरजी पत्नी मुकना,
24/2. रतन पुत्र मुकना (मृतक) जरियें वारिसान
24/2/1. शैतान,
24/2/2. गोपाल,
24/2/3. तेजू ना.बा.
24/2/4. सोनू ना.बा पुत्र रतन,
24/2/5. माया ना.बा,
24/2/6. सीमा, ना.बा
24/2/7. नौसर ना.बा
24/2/8. सन्नो ना.बा पुत्रिया रतन, जरियें प्राकृतिक संरक्षक माता कमला पत्नी रतन
24/2/9. कमला पत्नी रतन,
25. छोटू पुत्र राजू (मृतक) जरियें वारिस
25/1. छोटी देवी पत्नी छोटू,
25/2. शंकर सिंह मृतक जरियें वारिस
25/2/1. रमती पत्नी शंकर
25/2/2. चेतन पुत्र शंकर
25/2/3. प्रहलाद पुत्र शंकर
25/2/4. नरेन्द्र पुत्र शंकर
25/2/5. रामी पुत्री शंकर
25/2/6. मुन्नी पुत्री शंकर
25/2/7. सन्नू पुत्री शंकर
25/3. देवी सिंह पि. छोटू
25/4. गीता देवी
25/5. समता देवी,
25/6. चान्दा देवी,
25/7. चन्ता देवी,
25/8. आयचुकी देवी,
25/9. तारा देवी पुत्रियाँ छोटू,
26. कज्जा पुत्र उमा (मृतक) जरियें वारिस
26/1. विजय सिंह,
26/2. धन्ना सिंह पि. कज्जा,
26/3. मांगी देवी पुत्री कज्जा,
27. भीमा (भीखा) पुत्र उमा मृतक जरियें वारिस
27/1. मोटा पुत्र भीमा (मृतक) जरियें वारिस
27/1/1. झुम्मी पत्नी मोटा, तर्क
27/1/2. हीरा,
27/1/3. गणपत,
27/1/4. भंवर,
27/1/5. सायर,
27/1/6. प्रकाश पि. मोटा,
27/1/7. कमला पुत्री मोटा,

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:43:34 IST
Reason: SelfAttested

---3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

28. स्टेट बैंक आफॅ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा श्रीनगर, नसीराबाद
29. राज0 सरकार जरियेंतहसीलदार नसीराबाद
— प्रतिवादीगण :– अनुपस्थित, 28 जरियें राज. पैरोकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 23/9/25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानाखेडी के खसरा नम्बर 1066, 1067, 1068 किता 3 रकबा 3.79, खसरा नम्बर 842, 843, 846, 847, 882, 896, 898, 900, 903, 1310/2964, 1311, 1439, 1445, 1446, 1732, 1733, 1734, 2405, 2446, 2447, 2448, 2449, 2590, 2760, 2807, 2808, 2810, 2812, 2813, 2813/3073, 2814, 2822, 2823, 2826/2954, 2826/2955, 2840 किता 36 रकबा 5.39, ग्राम मानपुरा के खसरा नम्बर 346, 347, 348, 349, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 402, 403, 404, 405, 406, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 422, 423 किता 40 रकबा 9.83 वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व काश्तकार की है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण उक्त सम्पदा का विभाजन नही कराना चाहते है तथा आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 18 ने जवाव पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1732 व 1733 की सम्पूर्ण आराजी उसके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा निहित नही है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 10 से 12 ने जवाव पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का विभाजन 50 वर्ष पूर्व हो चुका है। मौके पर अलग–अलग खेत वंटे हुये है जिस पर सभी हिस्से अनुसार काबिज है। वादी ने उक्त तथ्यों को छूपाते हुये वाद पेश किया है। अतः वाद सव्यय खाारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 6, 7, 8, 26/1 ने वाद के तथ्यों को स्वीकार किया। शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा पर वादी विभाजन प्राप्ति व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है ? — वादी

2. आया खसरा नम्बर 1732 व 1733 प्रतिवादी संख्या 18 की क्रयशुदा होने से वाद खारिज योग्य है ? — प्रतिवादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी सोहन सिंह का शपथ पत्र पेश किया। [illegible] अनुपस्थित रहे। वाद विचारण के दौरान प्रतिवादीगण प्रकरण में [illegible] रहे।

वहस उभयपक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:43:34 IST
Reason: SelfAttested

—4

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

ग्राम कानाखेडी व मानपुरा की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी व सह काश्तकारी की है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही हुआ है। वादी उक्त सम्पदा का विधिवत विभाजन कराना चाहते है। राजस्व अभिलेख में वादी व प्रतिवादीगण सह खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 6, 7, 8, 26/1 ने वाद के तथ्यों को स्वीकार किया। शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। हाजा न्यायालय में खसरा नम्बर 1066, 1067 व 1068 की आराजी के संबध में पूर्व में एक राजस्व वादद गंगाराम बनाम केला सिंह विचाराधीन है जो हाजा न्यायालय द्वारा निस्तारित कर खसरा नम्बर 10666 व 1067 बावत विभाजन का निर्णय पारित किया है। अतः उक्तम खसरा नम्बर पर वादी विभाजन प्राप्त करने का अधिकारी नही है। आराजी मुतनाजा के विधिवत विभाजन से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादीगण विभाजन प्रस्ताव के समय अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। वादीगण विभाजन प्राप्ति के अधिकारी है। तनकी संख्या 1 वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

प्रतिवादी संख्या 18 ने जवाव पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1732 व 1733 की सम्पूर्ण आराजी उसके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा निहित नही है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे। किन्तु राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रतिवादी संख्या 18 ने ग्राम कानाखेडी के खसरा नम्बर 1732 व 1733 ही कय किया है जो जमावंदी में उसके अकेले के नाम दर्ज है। ग्राम कानाखेडी का खसरा नम्बर 1446 राजस्व अभिलेख में मात्र पेम पत्नी सोहन सिंह के नाम दर्ज है। अतः वादी खसरा नम्बर 1732, 1733, 1446, 10666, 1067 व 10068 पर विभाजन प्राप्ति का अधिकारी नही है। तनकी वहक प्रतिवाददी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम कानाखेडी के खसरा नम्बर 842, 843, 846, 847, 882, 896, 898, 900, 903, 1310/2964, 1311, 1439, 1445, 1734, 2405, 2446, 2447, 2448, 2449, 2590, 2760, 2807, 2808, 2810, 2812, 2813, 2813/3073, 2814, 2822, 2823, 2826/2954, 2826/2955, 2840 व ग्राम मानपुरा के खसरा नम्बर 346, 347, 348, 349, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 402, 403, 404, 405, 406, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 422, 423 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:43:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

~~अंतिम~~ डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

काळू बनाम गोपी

दावा बाबत :— 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर — 56/2013
पेश करने की दिनांक — 19.03.2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक महेन्द्र सिंह चौहान मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम कानाखेडी के खसरा नम्बर 842, 843, 846, 847, 882, 896, 898, 900, 903, 1310/2964, 1311, 1439, 1445, 1734, 2405, 2446, 2447, 2448, 2449, 2590, 2760, 2807, 2808, 2810, 2812, 2813, 2813/3073, 2814, 2822, 2823, 2826/2954, 2826/2955, 2840 व ग्राम मानपुरा के खसरा नम्बर 346, 347, 348, 349, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 402, 403, 404, 405, 406, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 422, 423 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 23 माह 9 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मि[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:43:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला– अजमेर (राज0) :–

क्रमांक / उखन / रीडर / 25 / 7681 दिनांक :– 24/09/2025

निमित्त :–

तहसीलदार नसीराबाद

विषय :– न्यायालय के प्रकरण संख्या 56 / 13 कालू बनाम गोपी में जारी निर्णय की पालना पालना में विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

Signature Not Verified

ग्राम कानाखेडी के प्रकरण संख्या [illegible] कालू बनाम गोपी में पारित निर्णय व डिकी की प्रति भेजकर लेख है कि निर्णय अनुसार [illegible] विभाजन प्रस्ताव तैयार कर 15 दिवस में पेश करने की कार्यवाही करावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:43:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद